

M57P/ DY:140-898

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2015.

S.O.------(E) ----- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board', a Board constituted under the Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board Act, 1970 (Tamil Nadu Act No. 4 of 1971) in respect of the following specified income arising to that body, namely:-

- (a) centage at rates prescribed by the Government of Tamil Nadu;
- (b) water charges (at Water Tariff fixed by the Government of Tamil Nadu) collection from local bodies for bulk water supply;
- (c) interest on bank deposits and investments, rent and deposits received from local bodies.

2. This notification shall be subject to the conditions that Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board:-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial year (s), and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

3. This notification shall be applicable for the for the Financial years 2013-14 to 2017-18.

(Notification No. 5 /2015 F.No.196/28/2013-ITA.1)

Deepshikha

(Deepshikha Sharma)
Director to the Government of India

Ms Kelle
20/1/15
To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी, 2015


अधिसूचना

का.आ. (अ)..... (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए "तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड" को तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड के तमिलनाडु एक्ट सं. 4 अंतर्गत गठित एक बोर्ड है, को, उक्त बोर्ड को होने वाली विनिश्चित आय के बारे में अधिसूचित करती है, यथा:-

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधस्थान प्रभावी रहेगी, कि:- "तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड" :-
- (क) तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सेंटेंज ;
 - (ख) बन्क वाटर सप्लाई के लिए स्थानीय निकायों से एकत्रित (तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धारित जल प्रभुत्व पर) जल प्रभार;
 - (ग) बैंकों में जमा और निवेश पर ब्याज, भाड़ा तथा स्थानीय निकायों से प्राप्त जमा राशियाँ पर ब्याज;

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक लागू रहेगी।
- (क) किसी भी वाणिज्यिक कायकलाप में संलग्न नहीं होगा;
 - (ख) इसके क्रियाकलाप और विनिश्चित आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेगा;
 - (ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (घ) के उपबंध के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दाखल करेगी।

[अधिसूचना संख्या/2015 का.सं. 196/28/2013-आ.का.नि.]



(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मद्रासालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राज्यीय गार्डन के समीप), नई दिल्ली।